

**प्रेस नोट-**  
**थाना चिरगाँव, झाँसी**

**दिनांक- 29.01.2026**

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार ।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.01.2026 को थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 13/26 धारा 191(2)/191(3)/105/238/127(2) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 17/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवरण अधिनियम 1984 में वांछित अभियुक्तगण 1- शिवशंकर लोधी पुत्र जानकी प्रसाद निवासी कटापुर, थाना इन्दरगढ़, जिला दतिया, म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष 2- अजय लोधी पुत्र जानकी प्रसाद निवासी कटापुर, थाना इन्दरगढ़, जिला दतिया, म0प्र0 उम्र करीब 23 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर महेबा कट हाईवे से पहले फार्म हाउस के गेट से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

- 1- शिवशंकर लोधी पुत्र जानकी प्रसाद निवासी कटापुर, थाना इन्दरगढ़, जिला दतिया, म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष
- 2- अजय लोधी पुत्र जानकी प्रसाद निवासी कटापुर, थाना इन्दरगढ़, जिला दतिया, म0प्र0 उम्र करीब 23 वर्ष ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 मुनीन्द्र मिश्र
2. उ0नि0 रामप्रकाश पटेल
3. हे0का0 426 मो0 उवैश अहमद खाँ
4. का0 188 राहुल सोगरवाल
5. का0 820 अवनीश कुमार पाल प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह, थाना-कटेरा जनपद-झाँसी

**अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 13/26 धारा 191(2)/191(3)/105/238/127(2) बीएनएस,
2. मु0अ0सं0 17/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवरण अधिनियम 1984